



# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री अवधेश  
कुमार पाण्डेय



पैरोकार उ०नि०  
श्री कृष्ण कुमार



पैरोकार हे०का०  
राजकुमार सिंह

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1500 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  
अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा निरी० श्री भरत उपाध्याय थाना मोहनगंज के द्वारा दिनांक 21.05.2021 की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध असलहा बरामद होने की तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 159/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-2 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1500 रु अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तगण को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास।
- ❑ अभियुक्त को 1,500 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- नारेन्द्र सिंह उर्फ पिक्कू सिंह निवासी कटोरवा मजरे फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल  
अमेठी